

28/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील
वादी अनु.। वकील वादी को
उप होने का अवसर दिया
गा। कर पत्रावली दि 28/11/24
को पेश है।

28-11-24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
अनु.। वकील वादी को उप
होने का अवसर दिया गा। कर
पत्रावली दि 28/11/24 को पेश
है।

28/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित।
वकील वादी/प्रार्थी को विधिवत रूप से तीन बार
रुक-रुक कर आवाज लगवाई गई परंतु वकील वादी
एवं वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी/
प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व में भी उपस्थित होने के पर्याप्त
अवसर दिये जाने उपरांत भी वकील वादी/प्रार्थी एवं
वादी/ प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी
स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील वादी/प्रार्थी एवं वादी/प्रार्थी कि
ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फौसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

उपस्थित अधिकारी
इंजीनर (राज.)